



2026:AHC-LKO:6042-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 53/2026

सुमित पाण्डेय

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, उ.प्र. एवं 6 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – ईशान कुमार गुप्ता, अमित कुमार दीक्षित

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : – मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी (गण) हेतु विद्वान् अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने यह जनहित याचिका निम्नलिखित अनुतोषों का अनुरोध करते हुए दायर की है:

"1. परमादेश के रूप में एक रिट जारी करते हुए विपक्षी संख्या 1-8 को मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने हेतु, और बिना पंजीकरण प्लेट, पीयूसी और बीमा के वाहनों के संचालन के रवैये को हतोत्साहित करने, उस पर रोक लगाने और उसे जब्त करने का निर्देश दिया जाए।

2. परमादेश के रूप में एक रिट जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 – परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, और प्रतिवादी संख्या 3 – पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 50, नियम 124 और नियम 126 सहपठित मोटर वाहन (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) आदेश, 2018 और अधिसूचना एस.ओ. संख्या 873(ई) दिनांक 15.12.1997 के कठोर और एकसमान

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रवर्तन को सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाए;

3. विपक्षी संख्या 1-8, राज्य को निम्नलिखित के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के उद्देश्य से परमादेश रिट जारी की जाए :

क. सरकारी बड़े सहित सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगाने का सत्यापन और प्रवर्तन;

ख. प्रकाश और सिग्नलिंग सुरक्षा मानकों के अनुपालन का आवधिक निरीक्षण और संपरीक्षा;

ग. सार्वजनिक रूप से पता लगाने योग्य बनाने के लिए पंजीकरण डेटा, एचएसआरपी पहचान और पीयूसी/बीमा वैधता को केंद्रीय वाहन डेटाबेस से डिजिटल रूप से संबद्ध करना; और

घ. किसी भी अपंजीकृत या नियमों का पालन न करने वाले वाहन को निर्मुक्त करने या नवीनीकरण करने से पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमोदन अनिवार्य करना;

4. विपक्षी संख्या 1 को, परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में और एडीजी (ट्रैफिक) को सम्मिलित करते हुए, एचएसआरपी और सीएमवीआर अनुपालन के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिये एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन करने का निर्देश करने के लिये के लिये परमादेश याचिका जारी की जाए जो इस माननीय न्यायालय के समक्ष त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

5. विपक्षीगण को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विशेष अभियान चला कर बिना पंजीकरण प्लेट, एचएसआरपी या बीमा के चल रहे वाहनों की पहचान करके उन्हें जब्त करने और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39, 53, 56 और 192 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने के लिये परमादेश की प्रकृति में एक रिट याचिका जारी की जाए।

6. विपक्षी संख्या 1-8 को उन वाहनों, पुलिस, सरकारी या बड़े परिवहन वाहनों, जो पंजीकरण प्लेट, पीयूसी, बीमा या फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना चल रहे हैं, की सूची बनाने और उनके स्वामी और चालक के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई करने तथा अपंजीकृत या असुरक्षित वाहनों के प्रति शून्य-सहिष्णुता नीति अपनाने के लिये परमादेश की प्रकृति में एक रिट याचिका जारी की जाए।

3. याचिका में कई उदाहरणों का उल्लेख किया गया है और दावा किया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1989 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन को दर्शाने वाले प्रमाण संलग्न किए गए हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराएँ, जो इस मामले की जाँच करेंगे और सक्षम स्तरों पर वैधानिक प्रावधानों और उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। याचिकाकर्ता संबंधित जिले के संबंधित अधिकारी या आर.टी.ओ. को किसी भी उल्लंघन के संबंध में सूचित कर सकता है, जिसकी जाँच की जाएगी और विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
5. तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

28 जनवरी, 2026

प्रवीण